उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी

आवास आवंटन एंव वार्षिक मरम्मत नियमावली

1– आवास आवंटन नियमावल/ विनियम का अर्थ ।

2– आवास आवंटन समिति की परिभाषा।

3– आवासों का वर्गीकरण।

4– आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण।

5– आवासीय गृहों का आवंटन एवं निरस्तीकरण।

6– आवसीय गृहों का किराया निर्धारण एंव कटौतियां।

8– आवासों की वार्षिक मरम्मत।

1– आवास आवंटन नियमावली विनियम का अर्थ

(क) आवास आवंटन नियमावली का अर्थ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन नियमावली से हैं। यह नियमावली/विनियम आवास आवंटन नियमावली के नाम से जानी जायेगी।

(ख) यह नियमावली उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय/ परिसरों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों/अधिकारीयों/कर्मचारियों में समान रूप से लागू होगी। विश्वविद्यालय से बाहरी सेवा का कोई भी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी इस नियमावली के अधीन पात्र नही होंगे।

(ग) यह नियमावली विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा पारित अनुमोदन/प्रशासनिक निर्णय की तिथि से लागू/प्रवृत मानी जायेगी।

(घ) आवास आवंटन नियमावली में परिवर्तन–यदि आवास आवंटन नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो आवास आवंटन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार किया जायेगा।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

2– आवास आवंटन समिति की परिभाषा

(क) आवास आवंटन समिति का अर्थ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन समिति से है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के उपलब्ध आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ख) आवास आवंटन समिति–

1 कुलपति अथवा कुलपति जी द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो कि निदेशक स्तर से कम न हो) – अध्यक्ष

(2) कुलसचिव –संयोजक

(3) उपकुलसचिव/नोडल अधिकारी (निर्माण)– सह संयोजक

(4) कुलपति जी द्वारा नामित निदेशक– सदस्य

(5) वित्त नियंत्रक– सदस्य

(6) परीक्षा नियंत्रक– सदस्य

(7) शिक्षक संगठन के (अध्यक्ष/सचिव) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो–सदस्य

(8) शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन के (अध्यक्ष/सचिव) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो–सदस्य

(ग) आवास आवंटन समिति की बैठक का आयोजन आवास उपलब्ध होने पर संयोजक की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों/आवश्यकतानुसार कुलपति जी की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती हैं।समिति की बैठक हेतु 02 तिहाई बहुमत आवश्यक है।

(ख) **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित आवास ों का वर्गीकरण–**

1 परिसर में निर्मित कुलपति आवास – कुलपति जी हेतु आरक्षित।

2 परिसर में निर्मित टाईप–2 के आवास – तृतीय श्रेणी कर्मचारी (पे लेबल –5 तक) /वाहन चालक आवास ।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)